FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

गोरधन राम बनाम भोगाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RLRAct नं. 281/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री किशनाराम जी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/09/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बा०	
29/09/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थी गणों के नोटिस तामील प्राप्त तामील शुदा / विप्रार्थी संख्या-5 की ओर से वकील श्री धमनाराम सारण द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल पेश होकर आगामी तारीख 07/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	विप्रार्थी संख्या 5 की तरफ से अण्डरटेकिंग (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:00:02 IST
Reason: SelfAttested

07/10/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त। विपक्षी संख्या-5 की ओर से वकील श्री घमण्डराय साहब द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 13/10/2020 को पेश हो।

13/10/2020 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 20/10/20 को पेश हों।

20/10/20 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 16/12/20 को पेश हों।

16/12/2020 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 18/01/21 को पेश हों।

18/01/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 01/03/2021 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:00:02 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/03/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 28/04/2021 को पेश हो।	
28/04/21	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 06/09/21 को पेश हो।	
06/09/21	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 14/09/21 को पेश हो।	
14/09/21	प्रार्थी व विपार्थी संख्या-5 के वकील उपस्थित। विपार्थी संख्या-5 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया फाईल पेश करना चाहते हैं पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, अंतिम अवसर दिया जाता है। शेष विपार्थीगण बावजूद तामील अनु०/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विपार्थी संख्या-1 से 4 व 6 से 14 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा विपार्थी संख्या 1 से 4 व 6 से 14 के विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाती है। विपार्थी संख्या-5 के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 29/09/2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:00:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/09/21	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-5 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया पूर्व में अन्तिम अवसर दिया गया था। पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी विप्रार्थी संख्या-5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने पर विप्रार्थी संख्या-5 का जवाब बन्द किया जाता है। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा मेड आये हुए है। खेतों के मध्य जो पुरानी मेड व कोने आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य खेत के सेढो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबंदी करानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को आदेश [illegible] सम्बन्धित भू० अभिलेख [illegible] कमीशनर नियुक्त किया जाकर [illegible] है कि आप स्वयं [illegible] की उपस्थिति में प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपम-

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:00:02 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बन्दी मौके पर कमिशन शुल्क जमा कराकर दोनों पक्षों के रूबरू करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:00:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1202
राजस्व आवेदन संख्या – 281 / 2020

दिनांकः– 29/09/2021

प्रार्थीगण
श्री गोरधनराम पुत्र उगाराराम वगैरा 7 निवासी कोसरिया तह. बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण
श्री जोगाराम पुत्र आसुराम वगैरा 14 निवासी कोसरिया तह. बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–हुडों की ढाणी, पटवार मण्डल– कोसरिया, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 136, 574 / 136 रकबा क्रमशः 33.5169, 33.5250 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1203 to 1207

दिनांकः– 29/09/2021

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी बायतु कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गोरधनराम पुत्र उगाराराम वगैरा 7।
4. विप्रार्थीगण श्री जोगाराम पुत्र आसुराम वगैरा 14।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, वायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:00:02 IST
Reason: SelfAttested